केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
18,Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली / New Delhi - 110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/ FAX 26514179
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल / Email : kvshindisection@gmail.com

फा॰ सं॰ 11-55/2000- केविसं (सतर्कता) पीटी.I /1311-1350 दिनांक : 05.03.2019 28

आदेश

दिनांक 09 दिसंबर, 2013 से प्रभावी 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए केविसं (मु.), समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों तथा केंद्रीय विद्यालयों के स्तर पर 'आंतरिक शिकायत समितियों' के पुनर्गठन करने के संबंध में आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुमोदन की जानकारी एततद्वारा प्रदान की जाती है।

तदनुसार कार्यस्थल **पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013** के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तथा केविसं के प्रत्येक कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के गठन में समरूपता लाने की दृष्टि से **'आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी)'** के गठन तथा इसके अधिकार क्षेत्र के विवरण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नानुसार संप्रेपित किए जाते हैं :

1. **केविसं (मु.) स्तर** : केविसं (मु.) के दिनांक 16.11.2018 के आदेश द्वारा अधिसूचित की गई समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं -

क्रमांक	नामावली	नामित सदस्य का नाम	अधिकार क्षेत्र
1	पीठासीन अधिकारी	डॉ. बी. विजयलक्ष्मी, संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केविसं (मु.)	1. **केविसं (मु.) स्तर पर गठित आईसीसी** : केविसं (मु.) में कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के मामले तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत वर्ग'क' अधिकारियों व वित्त अधिकारियों तथा आंचलिक संस्थानों के निदेशकों की जांच करेगी।
2	गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) सदस्य (एक)	(i). श्रीमती राकेश धवन, अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन पैन इंडिया, 7/1 पीतम रोड, देहरादून -248001 (उत्तराखंड) (ii) डॉ. (श्रीमती), ए. पद्मावती, अध्यक्ष, हमाना पीपुल टु पीपुल इंडिया, बी-7/61/1, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली-110029	
3.	महिला सदस्य (एक)	(i) श्रीमती इन्दु कौशिक, सहायक आयुक्त, केविसं (मु.) (ii) श्रीमती सोना सेठ, सहायक आयुक्त, केविसं (मु.) (iii) श्रीमती पल्लवी शर्मा, सहायक आयुक्त, केविसं, क्षे. का., दिल्ली	2. प्राचार्यों/ उप-प्राचार्यों के विरुद्ध पहले ही मुख्यालय आई सी सी को संदर्भित शिकायतों के मामलों की जांच अब क्षेत्रीय कार्यालय स्तर की आई सी सी द्वारा की जाएगी, बशर्ते कि केविसं (मु.) स्तर की आई सी सी द्वारा जांच शुरू नहीं की गई हो।
4.	पुरुष सदस्य (एक)	(i) श्री पी. के. कौल, उपायुक्त (शैक्षिक/ ई डीपी) (ii) डॉ. पी. देव कुमार, उपायुक्त (शैक्षिक) (iii) श्री ताजुद्दीन शेक, सहायक आयुक्त (शैक्षिक) (iv) श्री वरुण मित्र, सहायक आयुक्त (स्था-1)	

2. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर :

क्रमांक	नामावली	नामित किया जाने वाला सदस्य	अधिकार क्षेत्र
1	पीठासीन अधिकारी	महिला सहायक आयुक्त (यदि क्षेत्रीय कार्यालय में कोई महिला सहायक आयुक्त न हो, तो समीप के क्षेत्रीय कार्यालय से किसी महिला सहायक आयुक्त को नामित किया जा सकता है)	(1). क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर (वित्त अधिकारी को छोड़कर) तथा संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ प्राचार्यों, उप-प्राचार्यों तथा मुख्याध्यापकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना। (2). जहां क्षेत्रीय कार्यालय तथा आंचलिक संस्थान एक ही स्टेशन पर अवस्थित हों, उन आंचलिक संस्थानों के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करना (निदेशक के विरुद्ध शिकायतों को छोड़कर)। (3). जहां आंचलिक संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय से पृथक स्टेशन पर अवस्थित हो, वहाँ आंचलिक संस्थान की अपनी आई सी सी होगी । तथापि, यदि व्यावहारिक रूप से यह संभव न हो तो निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय की आई सी सी ऐसी शिकायतों की जांच करेगी।
2	गैर-सरकारी संगठन सदस्य	महिलाओं के हित के कार्यों के लिए समर्पित गैर-सरकारी संगठनों से एक सदस्य जो महिला यौन उत्पीड़न से संबन्धित मामलों से वाकिफ हो।	
3.	सदस्य	संभाग के केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों में से कम से कम दो सदस्य जिनमें महिलाओं के हित के कार्यों के लिए समर्पित अथवा जिन्हें सामाजिक कार्यों का अनुभव हो अथवा कानूनी जानकारी हो, को वरीयता दी जाएगी।	
4.	सदस्य		

2. विद्यालय स्तर :

क्रमांक	नामावली	नामित किया जाने वाला सदस्य	अधिकार क्षेत्र
1	पीठासीन अधिकारी	संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय की आई सी सी का पीठासीन अधिकारी संभाग के अधीनस्थ सभी केंद्रीय विद्यालयों में गठित आई सी सी के लिए पीठासीन अधिकारी का कार्य करेंगे।	विद्यालय के प्राचार्यों, उप-प्राचार्यों तथा मुख्याध्यापकों को छोड़कर शेष कर्मचारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से संबन्धित शिकायतों की जांच करना।
2	गैर-सरकारी संगठन सदस्य	महिलाओं के हित के कार्यों के लिए समर्पित गैर-सरकारी संगठनों में से कोई एक सदस्य जो महिला यौन उत्पीड़न से संबन्धित मामलों से वाकिफ हो।	
3.	सदस्य	संभाग के केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों में से कम से कम दो सदस्य जिनमें महिलाओं के हित के कार्यों के लिए समर्पित अथवा जिन्हें सामाजिक कार्यों का अनुभव हो अथवा कानूनी जानकारी हो, को वरीयता दी जाएगी।	
4.	सदस्य		
5	सदस्य	विद्यालय प्रबंध समिति से एक सदस्य (महिला सदस्य को वरीयता)	

टिप्पणी :

(1) सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जाएगा कि इस तरह नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिला सदस्य होंगे।

(2) पीठासीन अधिकारी सहित आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य उनको नामित किए जाने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे।

(3) अधिनियम की एक प्रति तथा कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 पर सार-संग्रह सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्तों तथा सभी आंचलिक संस्थानों के निदेशकों को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों/इकाइयों में वितरण हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(4) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए।

नोट:- इस कार्यालय आदेश के हिन्दी पाठ के अर्थ की विवेचना के दौरान यदि कोई भ्रांति हो तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही प्राधिकृत माना जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डी के द्विवेदी)
सहायक आयुक्त (सतर्कता)

वितरण :

1. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त (प्रशा.)/मु.स.अ., केविसं, नई दिल्ली के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त (शै.), केविसं, नई दिल्ली के निजी सचिव को सूचनार्थ।
4. डॉ वी. विजयलक्ष्मी, संयुक्त आयुक्त (प्रशा.) एवं पीठासीन अधिकारी, आंतरिक शिकायत समिति, केविसं (मु.), नई दिल्ली।
5. डॉ. (श्रीमती), ए. पद्मावती, अध्यक्ष, हमाना पीपुल टु पीपुल इंडिया, बी 7/61/1, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली-110029।
6. श्रीमती राकेश धवन, अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, पैन इंडिया, 7/1 पीतम रोड, देहरादून - 248001 (उत्तराखंड)।
7. श्रीमती पल्लवी शर्मा, सहायक आयुक्त, केविसं, क्षे. का., दिल्ली।
8. केविसं (मु.), नई दिल्ली में संबन्धित सभी नामित सदस्य।
9. अवर सचिव(यू.टी.-2), नई दिल्ली, मासवि मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
10. उपायुक्त/निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक संस्थान, केविसं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को अपने क्षेत्रीय कार्यालय तथा अधीनस्थ सभी केंद्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों की जानकारी में लाएँ तथा यह सुनिश्चित करें कि क्षे.का./आंचलिक संस्थान तथा विद्यालय स्तर पर उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए तथा क्षेत्रीय कार्यालय और अधीनस्थ के.वि./ आंचलिक संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट इस पत्र के जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।
11. केविसं (मु.), नई दिल्ली के सभी अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी।
12. उपायुक्त (शै.), ई.डी.पी. प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश को केविसं के वैबसाइट पर 'प्रशासन' के अंतर्गत 'सतर्कता' उप-शीर्ष पर अपलोड करें।
13. गार्ड फाइल।